पुलिस आदेश संख्या 266 /99

किसी प्रशिक्षण संस्थान में 3(तीन) वर्षों को उत्कृष्ट सेवा पूरी करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को अगले पदस्थापन स्वरूप मनोनुकूल जिला में पदस्थापन के संबंध में बिहार आरक्षी हस्तक 778(IV) में सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं।

उक्त नियम में निर्धारित सिद्धांतों को मूल धारणा ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उनका कार्यान्वयन वर्त्तमान प्रशासनिक समस्याओं एवं कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में हो।

अतः आरक्षी हस्तक नियम 778 (IV) में वर्णित सिद्धांतों को कार्यान्वित निम्न रूप में किया जाय :-

आरक्षी निरीक्षक एवं उससे नीचे के पंक्तियों के कर्मियों को, जो आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण केन्द्र में कम-से-कम तीन वर्षों तक सराहनीय सेवा कर चुके हों, अगले पदस्थापन स्वरूप उनको तीन इच्छित जिलों में से (तीन भिन्न प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत) किसी एक जिला में पदस्थापित किया जायेगा बशर्ते वह इच्छित जिला उनका गृह जिला न हो एवं उस जिला/क्षेत्र/प्रक्षेत्र में उन्होंने पदस्थापन को निर्धारित अवधि पूरी न की हो। इसके पश्चात् इस शर्त को परिधि में आने वाले आरक्षीकर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला/क्षेत्र/प्रक्षेत्र में पदस्थापन की निर्धारित अवधि की शर्तों एवं अन्य सामान्य नियमों के अन्तर्गत होगा।

(के० ए० जैकब)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3476 /पो-2
7-6-50-97

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8 जून, 1999.

प्रतिलिपि : 1. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेल/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/खाद्य सहित)
2. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक (रेलवे/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/आर्थिक अपराध कोषांग)
3. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, (रेलवे/अप. अनु. वि. /विशेष शाखा/आर्थिक अपराध कोषांग)
4. आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)/आरक्षी उप-महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पो. टो. सो., हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।